

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर

C/1894


पृष्ठांकन क्रमांक...../चार-12-5/2023
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 03/03/2025

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (म.प्र. राज्य केसमस्त)
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, (म.प्र. राज्य केसमस्त)
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खंडपीठ, ग्वालियर/इन्दौर,
4. सदस्य सचिव, म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर।
5. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर।
6. रजिस्ट्रार(प्रशासन)/ रजिस्ट्रार(एम)/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार(एम)/ओ0एस0डी0(लेखा)उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर।
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा/पेंशन अनुभाग)/प्रशासनिक अधिकारी (पेंशन/बजट)/ सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित)/सहायक(पेंशन)/सहायक (गोपनीय अनुभाग)/सहायक (शिकायत अनुभाग)/सहायक (बजट अनुभाग), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,

की ओर मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 4989/21-ब(एक)/2024 दिनांक 17/12/2024, प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

नोट:-रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों /पृष्ठांकनों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


रजिस्ट्रार(एम)



मध्यप्रदेश शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17/12/2024

अधिसूचना

फा.क्रमांक 4989/21-ब(एक)/2024, यतः, माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 643/15, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य, आदेश दिनांक 19-05-2023 में दिए गए निर्देशों के पालन में तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (तीन क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(तीन क) किसी न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्ति पर, यदि वेतनवृद्धि ऐसे न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्ति दिनांक के अगले दिन को देय हो, तब उसकी पेंशन, ऐसे न्यायिक अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन में वार्षिक वेतनवृद्धि नोशनल (काल्पनिक) रूप से जोड़कर, रू. 2,24,100/- की वर्टिकल सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए, नियत की जाएगी।”।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

प्रमुख सचिव,

म.प्र.शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

Bhopal, Date 17/12/2024

NOTIFICATION

F.NO 4989/XXI-B(One)/2024- Whereas, in compliance of directions made by Hon'ble the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 643/15, All India Judges Association Vs. Union of India and Others, order dated, 19-05-2023 and in exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Judicial Services (Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits) Rules, 2022, namely:-

AMENDMENT

In the said rules, in rule 11, in sub-rule (1), for clause (iiia), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iiia) Upon retirement of a Judicial Officer, if the annual increment becomes due on the next day of retirement date of such Judicial Officer, then his pension shall be fixed by adding that annual increment notionally to the last pay drawn by such Judicial Officer at the time of retirement subject to the vertical ceiling of Rs. 2,24,100/-.”

(**Narendra Pratap Singh**)

Principal Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Law and Legislative Affairs Department,
Bhopal, Date 17/12/2024

Encl 4989/21-B(One)/2024

1. Registrar General, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information and necessary action.
2. Dy. Controlloer, Govt Press, Bhopal for publication in the next edition of M.P.Gazatte.
3. Dy. Secretary, Office of the Chief Secretary with compliance order of cabinet for information.

High Court of Madhya Pradesh

JABALPUR

10 JAN 2025

Sl. No.

1279

(**O.P.Raghuwanshi**)
Secretary,

Government of Madhya Pradesh
Law and Legislative Affairs Department,

17/12/2024